

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर


मि.सं. : 12(13)R/94/Adm.I/Vol.VIII/

दिनांक : 31.03.2017

कार्यालय नोट

संस्थान में बाहरी वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं को चला रहे सभी प्रधान अन्वेषकों को उनकी परियोजनाओं में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत आर.ए./एस.आर.एफ./यंग प्रोफेशनल एवं अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि जिन परियोजनाओं को अगले वित्त वर्ष में जारी रखने एवं उनमें अनुबन्ध के आधार पर कार्मिकों की सेवाओं को जारी रखने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उनकी सेवाएँ दिनांक 01.04.2017 से समाप्त कर दी जावे। साथ ही माह मार्च 2017 के सम्बन्धित कार्मिक के वेतन भी 31.03.2017 को ही जारी कर दिये जावें। यदि परियोजना में उचित स्वीकृति के बिना भी किसी अनुबन्धित कार्मिक की सेवाएँ 31.03.2017 के बाद भी जारी रहती हैं तो उनके वेतन सम्बन्धित दायित्वों के लिये परियोजना के प्रधान अन्वेषक स्वयं जिम्मेदार होंगे।


यह निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है।


31/3/17
(हरषित अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी
2. संस्थान के उपकेन्द्रों के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी
बीकानेर, गडसा एवं मन्नावनुर

इस आशय के साथ प्रेषित है कि उनके विभाग/अनुभाग/उपकेन्द्र में चल रही बाहरी वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषकों को तुरन्त सूचित किया जावे।

 अ.क.ए.ए. - अपलोड करे हेतु
(IWSH-website.)